<u>अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली जिला न्यायालय परिसर मुंगेली छ0ग0</u>

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक /क्यू/2025 **मुंगेली दिनांक 17/12/2025**

छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली छ0ग0 की ओर से जिला न्यायालय परिसर मुंगेली में सायकल स्टैण्ड संचालन हेतु ईच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत संस्थाओं से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र अनुसंलग्न–1 जो जिला न्यायालय के वेबसाईट https://districts.ecourt.gov.in/mungeli में अपलोड किया गया है तथा स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के भीतर तक कार्यालयीन दिवस में अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली स्थान जिला न्यायालय मुंगेली से आवेदन प्राप्त कर सकते है। सायकल स्टैण्ड के संचालन हेतु आवेदन देना होगा।

निविदा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 09.01.2026 समय शाम 5.00 बजे तक

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.01.2026 सयम 5.00 बजे तक

निविदा खोलने की अंतिम तिथि 29.01.2026 समय 05.00 बजे तक

स्थानः– मुंगेली
दिनांकः–17.12.2025

सही
(मानदास कोसले)
अध्यक्ष
छत्तीगसढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा–मुंगेली छ0ग0

अनुसंलग्न–1

1. आमंत्रित किए गए निविदा को किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

2. निविदा के लिए समय सीमा प्रकाशन तिथि से 07 दिन के भीतर।

3. निविदा को नीचे दिये गये पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट (एडी) अथवा स्पीड पोस्ट एवं कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर आवेदन प्रेषित किया जायेगा।

4. सायकल स्टैण्ड संचालक लाईसेंस/दो माह का किराया अग्रिम रूप से संघ के बैंक खाता में जमा करेगा, यह दर 31 मार्च तक प्रचलित होगा। इसके बाद सायकल स्टैण्ड संचालक की बोली की राशि 5 प्रतिशत प्रति वर्ष किराया बढ़ाया जावेगा।

5. सायकल स्टैण्ड संचालक मासिक किराया मासिक किराया हर माह की 10 तारीख तक संध्या के बैंक खाते में जमा करना होगा। अगर कैन्टीन संचालक नियमों का पालन करने में असफल रहता है तो संघ द्वारा संचालक को सूचना देते हुए उसके अनुबंध को समाप्त कर सकेगा।

6. सायकल स्टैण्ड संचालक अपने सहायको को वर्दी उपलब्ध करायेगा। तथा अपने कर्मचारियों का व्यक्तिगत विवरण संघ को देगा।

7. सायकल स्टैण्ड संचालक विद्युत, पानी एवं जो भी जरूरत/आवश्यक सुविधाओं के सारे व्यय स्वयं वहन करेगा।

8. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीध, मुंगेली का यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वे किसी भी समय, किसी भी बिन्दू पर बिना किसी पूर्व नोटिस के सायकल स्टैण्ड संचालक का अनुबंध समाप्त कर सकेंगे।

9. सायकल स्टैण्ड संचालक को यह अधिकार होगा कि वे 45 दिनों की पूर्व सूचना देकर सायकल स्टैण्ड बंद करने की अनुमति प्राप्त कर अनुबंध समाप्त कर सकेगा, उस स्थिति में संघ के अध्यक्ष द्वारा 45 दिनों के समाप्ति पर सायकल स्टैण्ड संचालक द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि सायकल स्टैण्ड संचालक को वापस करेगा।

10. सायकल स्टैण्ड संचालक न्यायालय परिसर में कोई भी ऐसा कृत्य या आचरण नही करेगा जो न्यायालय के गरिमा के प्रतिकूल हो जैसे धुम्रपान, नशा, जुआ खेलने या खेलाना या काई अन्य अपराधिक कार्य नही करेगा तथा ग्राहको से सम्मानजनक व्यवहार करेगा।

11. सायकल स्टैण्ड संचालक को प्रदान किये गये नियत स्थान पर ही अपना व्यवसाय करना होगा। अपनी जगह पर वह किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से न तो अपना कार्य करेगा और न ही अन्य व्यक्ति को जगह देगा।

12. माननीय समिति से प्राप्त मासिक किराये की निर्धारित दर अनुसार सायकल स्टैण्ड

संचालन हेतु न्यूनतम बोली राशि 6,000/– रूपये निर्धारित की गई है।

13. निविदाकर्ता दो माह का मासिक किराया अग्रिम संघ के खाते में जमा करेगा।

14. सायकल स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति पर अगले ही कार्य दिवस पर संघ के अध्यक्ष एवं नियम 2025 के अंतर्गत गठित समिति के समक्ष सभी निविदाकर्ता की उपस्थिति अथवा उसकी ओर से उपस्थित अभिकर्ता की उपस्थिति में निविदा खोली जायेगी। उपस्थित नहीं होने पर निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि जब्त कर ली जावेगी।

15. सभी निविदा को खोलने के बाद जो भी उच्चतम बोली (दर) का सफल निविदाकर्ता होगा, उसकी घोषणा किया जायेगा। अधिकृत अधिकारी द्वारा उस निविदाकर्ताओं को सायकल स्टैण्ड एवं संचालन की अनुमति अनुबंध के माध्यम से दिया जायेगा। साथ ही शेष निविदाकर्ता जो कि उक्त निविदा में सम्मिलित हुए सफल नहीं हुए उनके द्वारा किये गए निविदा की 25 प्रतिशत राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अगले 07 कार्य दिवस के भीतर जल्द से जल्द वापस कर दिया जायेगा।

16. सफल निविदाकर्ता को निविदा की शेष 75 प्रतिशत राशि अगले 07 कार्यदिवस के भीतर डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में जो कि छ0ग0 न्यायिक कर्मचारी संघ मुंगेली के नाम पर होना चाहिए अगर ऐसा करने में उक्त निविदाकर्ता असफल रहा तो उसका आवेदन एवं जमा राशि दोनो ही जब्त कर उसकी बोली को रद्द कर दिया जायेगा। उसकी बोली की संपूर्ण जमा राशि 07 कार्य दिवस के भीतर जमा करने के पश्चात् ही उसे सायकल स्टैण्ड सचांलन हेतु अनुबंधित किया जायेगा तथा तभी उसे सायकल स्टैण्ड संचालन की पात्रता होगी।

17. जिला न्यायालय परिसर में सायकल स्टैण्ड का संचालन सफल निविदाकर्ता सायकल स्टैण्ड में खड़े किए गए सायकलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा साथ ही अगर किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में वह पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा।

18. संघ, सायकल स्टैण्ड में विभिन्न प्रकार के वाहनों का दर तय करेगा, जो दैनिक/मासिक आधार पर होगा, जिसमें कर्मचारियों/अधिवक्ता/पक्षकार शामिल होंगे।

19. संघ का अध्यक्ष समझौते की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अनुमोदन के बाद नये अनुबंध के लिये कार्यवाही शुरू करेगा।

20. किसी भी विवाद की स्थिति में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनुमोदन के पश्चात समिति का निर्णय इस शर्त के अधीन अंतिम होगा कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मामले को रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को संदर्भित करेंगे और माननीय उच्च न्यायालय उसका अनुमोदन करेगा।

21. अनुबंध की अवधि अनुबंध प्रारंभ होने की तिथि से एक वर्ष की होगी। संघ के अध्यक्ष द्वारा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/समिति के पूर्व अनुमोदन से अनुबंध की अवधि को वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।

22. निविदा एक बंद लिफाफे में होगा, लिफाफे के बाहर अंदर रखे दस्तावेज का विवरण

अभिलिखित किया जाना होगा।

23. निविदांए जो निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होंगे उन्हें खोला नहीं जायेगा और वापस कर दिया जायेगा। ऐसी निविदाओं को वापस किये जाने का दिन एवं समय की जानकारी मोहरबंद लिफाफे में उल्लेखित होगी।

24. निविदाकर्ताओं को फर्म का पता उल्लेखित करना होगा।

25. आंमत्रित किये गये निविदा को किसी भी समय समक्ष प्राधिकारी द्वारा बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकेगा।

सही

अध्यक्ष
छत्तीगसढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ,
जिला शाखा–मुंगेली छ0ग0

<u>आवेदन पत्र</u>

1. अनुमति के लिए आवेदन

 (1) सायकल स्टैण्ड चलाने हेतु – जिला न्यायालय परिसर मुंगेली

2. आवेदन का नामः– ————————————————

3. पूर्ण पताः– ————————————————

4. पहचान का प्रमाण पत्र
 (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें):– ————————————————

5. निविदा हेतु बोली राशिः– ————————————————

 (मासिक लाईसेंस शुल्क एवं किराया):– ————————————————

6. फर्म का नाम एवं पताः– ————————————————

कृपया आवेदन के साथ निविदा की 25 प्रतिशत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा जो कि अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा मुंगेली के नाम पर देय होगा, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें, निविदा खुलने के बाद सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष सभी निविदाकर्ता को निविदा की राशि जल्द से जल्द वापस कर दी जावेगी।

7. डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक क्रमांक और दिनांक ————————————————————

8. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं शाखाः– ————————————————————————

9. निविदाकर्ता के द्वारा सभी कालम यथावत एवं साफ तरीके से भरे जाने होगे अगर कोई भ्झी कमी आवेदन में पाई गई तो उक्त आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा। निविदाकर्ता के द्वारा अपना स्वप्रमाणित पहचान पत्र साथ ही निविदा राशि की डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक, जैसा कि उपरोक्तानुसार सरल क्रमांक 7 एवं 8 में उल्लेखित किया गया है, संलग्न करना होगा यदि किसी भी प्रकार की काई कमी पाई गई तो उक्त निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता

घोषणा पत्र

मै ———————————————— पुत्र/पुत्री/पत्नि————————————————————एतद् द्वारा सभी उत्तरदायित्व लेता/लेती हूं कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी जो निविदा में दी जा रही है, सत्य है और में हर परिस्थितियों में सायकल स्टैंण्ड चलाने हेतु जिला न्यायालय नियम 2025 में उल्लेखित नियमों का पालन करूंगा/करूंगी एवं किसी भी बिंदु पर अगर यह देखा गया कि मेरे द्वारा कोई गलत जानकारी या उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लंघन या नियमों से संबंधित किसी तथ्य को कटाया गया तो मेरे अनुबंध को बिना पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावे।

हस्ताक्षर निविदाकर्ता